72/2011/225 अमित लाल बनाम गोपाल और

तारीख पेशी	2011/00048 **बनाम** रेस्पो० सं० 5, 7 से 12, 15 अनुपस्थित हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अजीत सिंह राठौड़ एड० अपी० श्री प्रदीप शर्मा - 14, 9A, 16 श्री N.K. जैन - 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.10.18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 06 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 01.02.2010 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 25.03.2010 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 01.02.2010 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, जो पोषणीय नहीं हैं किन्तु पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रकरण विद्धान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायीं निषेधाज्ञा का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश को स्वतः निष्प्रभावी माना जावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** (हस्ताक्षर) राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	Sir. पत्रांक 2487 दि. 14.11.18 को रिकार्ड A.C. को लौटाया गया